गोपनीय/महत्वपूर्ण

संख्या: 59/2022/2132772/1633384/12-2099/74/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग- 2 लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई, 2022

विषय: जनपद स्तर पर उर्वरक/कीटनाशी/बीज का नमूना ग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उर्वरक/कीटनाशी/बीज निरीक्षकों द्वारा एक ही विनिर्माता/विक्रेता/कम्पनी के परिसर का बार-बार निरीक्षण एवं नमूनों का संग्रहण किए जाने के कारण उर्वरक, कीटनाशी एवं बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम दुष्प्रभावित होता है।

2. अतएव निरीक्षण में पारदर्शिता हेतु निम्न बिन्दुओं/निर्देशों के आधार पर निरीक्षण/छापे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

(1) जनपद स्तर पर उर्वरक/कीटनाशी/बीज निरीक्षक पूर्व में जिस प्रतिष्ठान से नमूना ले चुके हों, सामान्यत: उस प्रतिष्ठान से बार-बार नमूना ग्रहण करने की कार्यवाही न की जाए, किन्तु विशेष परिस्थितियों, अर्थात, शिकायत की स्थिति में अथवा अपमिश्रण की सम्भावना के दृष्टिगत निरीक्षण नमूने ग्रहण कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(2) विशेष अभियान (छापा) के अन्तर्गत जिस निरीक्षक को एक बार किसी क्षेत्र/तहसील के लिए निरीक्षण हेतु नामित किया जाए, उसे अगले विशेष अभियान (छापा) में उस क्षेत्र/तहसील में निरीक्षण हेतु सामान्यतय: न लगाया जाए।

(3) विनिर्माता/विक्रेता/कम्पनी परिसर के किसी बैच/लॉट से उर्वरक/कीटनाशी/बीज के नमूने गृहित कर लिए गए हो तो दूसरी बार उनके नमूने न लिए जाए, जब तक की यह सम्भावना प्रतीत न हो कि यह स्टॉक अपमिश्रण अथवा अमानक है।

(4) विशेष अभियान (छापा) के दौरान जिलाधिकारी द्वारा रेण्डम आधार पर पंजीकृत सूची से विनिर्माता/विक्रेता/कम्पनी का आवंटन निरीक्षण हेतु किया जाएगा जिसके उपरान्त निरीक्षण/सत्यापन की कार्यवाही की जाए।

(5) संग्रहीत नमूनों की गोपनीयता प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

(6) किसानों की शिकायतें आने पर दुकानों पर मिलावटी रसायन की जॉच अवश्य सुनिश्चित की जाए तथा कार्यवाही की जाए।

(7) नकली रसायन बनाने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर अविलम्ब छापे की कार्यवाही की जाए तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उल्लेखनीय है िक कृषि विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण एवं नमूना ग्रहण करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है। अतएव, उर्वरक/कीटनाशी/बीज, जो तत्समय मांग के अनुरूप विक्रय हेतु बाजार में उपलब्ध हो, के नमूने ग्रहण करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए।

3- कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश में कृषकों को मानक के अनुरूप उर्वरक/कीटनाशी/बीज प्राप्त हो सकें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 59/2022/2132772(1)/1633384/12-2099/74/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
2. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।